



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23584-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **1505/2026**

साहिलयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्यप्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता : फैजान सिद्दीकी, मो. शादाब

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान रिट याचिका याची द्वारा निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

I. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को दिनांक 26.7.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो मुकदमा अपराध संख्या 0502/2025, धारा 316(2), 318(4), 351(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना कंकरखेड़ा, जनपद- मेरठ के रूप में पंजीकृत है, के अनुक्रम में निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करने और एक समयबद्ध तरीके से पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा इस माननीय न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 17961/2025 (निशांत भारद्वाज एवं 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) में पारित आदेश दिनांक 29.8.2025 का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाए।

II. कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और ठीक समझे।

III. याची को खर्च प्रदान करें।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याची वर्तमान मामले में प्रथम सूचनाकर्ता है और यद्यपि वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट 26.7.2025 को पंजीकृत की गई है, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विवेचना नहीं कर रही है।

उपरोक्त के आलोक में, याची अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना की मांग करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ के समक्ष एक आवेदन दे सकता है और यदि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ के समक्ष ऐसा आवेदन दिया जाता है, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/प्रत्यर्थी संख्या 2 वर्तमान मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त टिप्पणी के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजिव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

3 फरवरी, 2026

के.यू.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"